पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध–15/2010(खण्ड) सो0–710

<u>बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी</u>

<u>(सामान्य प्रशासन विभाग)</u>

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
प्रधान सचिव–सह–मिशन निदेशक,
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी।

सेवा में,

<u>सभी जिलाधिकारी,</u>
<u>सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,</u>
<u>सभी विभागीय प्रधान सचिव,</u>
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 03/07/2015 ~~जून 2015~~

विषयः– **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी द्वारा संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान के संबंध में।**

महाशय,

लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के द्वारा कार्यपालक सहायक का पैनल तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इस पैनल से अन्य विभाग/कार्यालयों हेतु भी कार्यपालक सहायक की सेवा ली जाती है, परन्तु विभिन्न स्रोतों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि अन्य विभागों/कार्यालयों/पदाधिकारियों द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के पैनल से कार्यपालक सहायक की सेवा लिये जाने पर उन्हें लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम में कार्यरत कार्यपालक सहायकों की तुलना में भिन्न मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। इस कारण मिशन कार्यालय को विभिन्न स्तरों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी विभाग/कार्यालय/पदाधिकारी द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी द्वारा निर्मित्त पैनल से कार्यपालक सहायक की सेवा ली जाती है तो संबंधित विभाग/कार्यालय/पदाधिकारी को कार्यपालक सहायक की सेवा उन्हीं सेवा शर्त्तों तथा मानदेय भुगतान के साथ प्रदान की जाएगी, जो सेवा शर्त्तें लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कार्यपालक सहायक पर लागू होती है।

विश्वासभाजन

2.7.15

(आमिर सुबहानी)
प्रधान सचिव–सह–मिशन निदेशक

E:prashant/officework/md

2